संख्या- 18 /2024/929/77-6-2024-77-6/8/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीडा/यीडा/गीडा/सीडा/बीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2024**

~~2024~~

विषय- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त की जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2- उक्त दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के कॉलम-1 में अंकित बिन्दुओं के स्थान पर कॉलम-2 में उल्लिखित प्राविधानों को प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

विद्यमान प्राविधान	**एतद्द्वारा संशोधित प्राविधान**
कॉलम-1	**कॉलम-2**
प्रस्तर-6 केस-टू-केस प्रोत्साहन "औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.4 के अनुसार विशेष महत्व की अल्ट्रामेगा श्रेणी की परियोजनाओं को यथावश्यकता राज्य सरकार	**प्रस्तर-6 केस-टू-केस प्रोत्साहन** "औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.4 के अनुसार विशेष महत्व की अल्ट्रामेगा श्रेणी की परियोजनाओं को यथावश्यकता राज्य

द्वारा केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों का विशेष रूप से निरूपित प्रोत्साहन (कस्टमाइज़्ड) पैकेज प्रदान किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के पैकेज में ग्रास एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन सम्मिलित हो सकते हैं।"	सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों का विशेष रूप से निरूपित प्रोत्साहन (कस्टमाइज़्ड) पैकेज प्रदान किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।"
प्रस्तर-6.2 "इस प्रकार के आवेदन इस नियमावली के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार नोडल संस्था को प्रस्तुत किए जाएंगे। इन आवेदनों की उनकी आवश्यकता एवं विशेष महत्व की दृष्टि से समीक्षा की जाएगी। इस हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 'समझौता समिति' गठित की जाएगी, जिसके सदस्य सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी होंगे।"	**प्रस्तर-6.2** "सी0ई0ओ0 इन्वेस्ट यू0पी0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का विशेष महत्व, अल्ट्रा मेगा श्रेणी के विषय पर परीक्षण किया जाएगा तथा विशेष पैकेज प्राप्त कराने की अर्हता के विषय में अनुसंशा की जाएगी। इन्वेस्ट यू0पी0 के उपरोक्त संस्तुति के आलोक में विभाग द्वारा परीक्षण करते हुए नीति के अन्तर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी (High Level Empowered Committee) की संस्तुति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इम्पावर्ड कमेटी (High Level Empowered Committee) की संस्तुति के आधार पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।"
प्रस्तर-6.3 "निम्नलिखित सदस्यों वाली समझौता समिति आवेदनों की आवश्यकता एवं विशेष महत्व की दृष्टि से समीक्षा करेगी तथा अंतिम स्वीकार्यता हेतु माननीय मुख्यमंत्री को संस्तुति करेगी- क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	**प्रस्तर-6.3** निरसित

ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग ङ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग च) प्रबंध निदेशक, पिकप छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा तथा कोई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यथावश्यकता ज) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को समिति में आमंत्रित किया जा सकता है।"	
प्रस्तर-6.4 "अतः नोडल संस्था आवेदनों पर कार्यवाही करेगी तथा उन्हें समझौता समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगी। समझौता समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को अंतिम स्वीकृति के लिए स्पष्ट संस्तुतियों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।"	**प्रस्तर-6.4** निरसित
प्रस्तर-6.5 "ऐसे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर अनुमोदनोपरान्त ही स्वीकार किये जायेंगे। नोडल संस्था आवदेक को 'पावती प्रमाणपत्र' जारी करेगी।	**प्रस्तर-6.5** निरसित
प्रस्तर-6.6 "तदोपरान्त, इन नियमों के अनुच्छेद 5 में मेगा श्रेणी के प्रकरणों के लिए परिभाषित प्राविधानों के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया लागू होगी। जिन आवेदनों की मूल्यांकन समिति	**प्रस्तर-6.6** निरसित

द्वारा समीक्षा कर ली जाएगी, उन आवेदनों को अंतिम संस्तुति हेतु एचएलईसी को संदर्भित किया जाएगा, जिसको माननीय मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।"	

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 के अन्य समस्त प्राविधान यथावत रहेंगे।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj 19.4.24

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पीयूष वर्मा)
विशेष सचिव।